कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

पत्र संख्या 265/डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/2018 दिनांकः 01, नवम्बर अक्टूबर, 2018

आदेश

अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16(1)73, दिनांक 05.03.1974 शासनादेश संख्या 258/16(1)–1973 –रा01 दिनांक 16.06.81 व शासनादेश संख्या 258/16 (1)/73–रा0–1 दिनांक 09.05.84 का आँशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक–1–2016–20(5)/2016,दिनांक 03.6.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी लखनऊ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 1.7.1952 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची में अंकित भूमि को उ0प्र0शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–08विविध/2016 दि0 11.07.2018 एवं मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दि0 27.09.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या 1848/आठ–1–18–08 विविध/2016, दिनांक 04, अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के पक्ष में शासनादेशों के कम में निःशुल्क पुर्नग्रहीत किया जा रहा है। यदि भविष्य में भूमि का शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते है तो भूमि के मूल्य की देयता आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की होगी।

अनुसूची

क्र.सं	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखनऊ	सदर	लखनऊ	अनौरा	89 91स 101स 102 103	0.668 हे0 1.200 हे0 0.150 हे0 0.152 हे0 0.025 हे0	बंजर	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पक्ष में (प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक एएचपी के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु)
					5 किता	2.195हे0		

(कौशल राज शर्मा)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
4. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर लखनऊ को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर खतौनी की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

कलेक्टर/जिलाधिकारी
लखनऊ।